



उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई-आगरा

आई.एस.ओ. 9001: 2015 प्रमाणित

CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642

e-mail:-uppanltd.agra@hotmail.com

पता:- पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा

पत्रांक : 686 /पुआनि/नि.ई.आ./ई-टेण्डरिंग/22-23

दिनांक : 16/06/2023

अल्पकालीन-ई-निविदा सूचना (प्रथम कॉल)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद हाथरस में पुलिस अधीक्षक आवास एवं श्रेणी-4 के एक आवास के निर्माण कार्यों के सापेक्ष अवशेष कार्य (गैराज+सर्वेन्ट रूम) के निर्माण कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक: 24.06.2023 को समय 14:00 अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० में)	निविदा प्रासेसिंग मूल्य (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	जमानत की धनराशि निविदा मूल्य
1	जनपद हाथरस में पुलिस अधीक्षक आवास एवं श्रेणी-4 के एक आवास के निर्माण कार्यों के सापेक्ष अवशेष कार्य (गैराज+सर्वेन्ट रूम) के निर्माण कार्य, आगणन के अनुसार।	410391.00	400.00+G.S.T. निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न।	निविदा लागत का 1%	5%

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है एवं किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ पंजीकृत प्रमाण-पत्र, पेनकार्ड, आधार एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ धरोहर धनराशि (Earnest Money) की यू०टी०आर० प्रपत्र जमा कराना होगा। धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई आगरा के उपरोक्त बैंक खाता संख्या: 0193101018810, IFSC Code: CNRB0000193, Canara Bank Jaipur House Colony, Agra. में जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म पुलिस आवास निगम लि० के इकाई कार्यालय पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड के सामने) आगरा-282010 में किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक रु० 472.00 (जी०एस०टी० सहित) नकद देकर दिनांक 23.06.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर दिनांक: 24.06.2022 के लिए टेण्डर तिथि अंकित हो, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय समय 11.00 बजे से 14.00 तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटी में डाल दिया जाये।
- निर्धारित समय 14.00 बजे के बाद निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- निविदा फार्म में आगणन की लागत से कम प्रतिशत को दर्शाते हुए निविदा भरी जायेगी। किसी टेण्डर में जो भी प्रतिशत निविदा में अंकित किया जाय, उसे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। यदि प्रतिशत धनराशि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है तो टेण्डर फार्म बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। टेण्डर लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या का अंकित किया जाना आवश्यक है।
- निविदाओं के खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए अगले कार्य दिवस में न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराते हुए अनुबन्ध पूर्ण नहीं होगा तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड निर्माण इकाई आगरा के नाम बन्धक होना चाहिए जो कार्य समाप्ति व 6 माह की तिथि तक मान्य होनी चाहिए अन्यथा मान्य नहीं की जायेगी।

- 9 कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित अवधि 3 माह के अन्दर आगणन के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिए। यदि नियत समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो पेनाल्टी क्लॉज लागू होगा (क्रमांक-15 के अनुरूप) जमानत धनराशि जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा। अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर एल-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा।
- 10 निविदा डालने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 11 कार्य प्रारम्भ के पूर्व कार्यस्थल पर 04 फोटोग्राफ तथा कार्य समाप्ति पर 04 फोटोग्राफ अवश्य रखे एवं पीछे फोटोग्राफ की तिथि तथा कार्य का नाम अंकित करें, जो कार्य की पूर्णता को प्रदर्शित करें।
- 12 आयकर आदि की कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
- 13 जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 14 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा
- 15 **"No cost over Run and Penalty (for time over run) Clause"** लागू होगा। **In case of Non completion of Project within the time given by the client the delay in Completion of Project after given time the Penalty will be charged at rate of 1% per week of Project Cost Subject to maximum of 10% of Cost.**
- 16 निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर अधिकतम 85 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा एवं ठेकेदार द्वारा पुलिस विभाग को उक्त कार्य हस्तान्तरित/कार्य पूर्ण का प्रमाण पत्र प्रेषित कराये जाने के उपरान्त अवशेष 15 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- 17 5 प्रतिशत प्रतिभूति (**Security**) की धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में हस्तान्तरण/कार्य पूर्ण के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की तिथि एवं जी0एस0टी0 मिशमैच क्लीयर होने के 6 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

(एन0के0 गुप्ता)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- 1- महाप्रबन्धक (परि0प्रबध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ की कृपया निगम की वेवसाइट पर इसे प्रकाशित कराने की कृपा करें।
- 2- नोटिस बोर्ड हेतु।

(NBA)
इकाई प्रभारी